

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3(जे-27/2011)लिंक नम्बर.9314/अलेसे-11/

दिनांक:- अप्रैल 2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

श्री जवाहर लाल जैन, सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-11) कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) राजसमन्द ने आर.पी.एस.सी द्वारा आर.ए.एस 2013 परीक्षा में बैठने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

1. अध्ययन से दैनिक राजकीय कार्य में बाधा नहीं पहुचनी चाहिये अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
2. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. अध्ययन काल में किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन का अधिकार नहीं होगा एवं इनका स्थानान्तरण किसी भी अन्यत्र स्थान पर किया जा सकेगा।
4. राजकार्य से यात्रा पर जाने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान है तो स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
6. कार्मिका का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित हो जाता है तो भी स्वीकृति समाप्त मानी जावेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति निरन्तर की जा सकती है।
8. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(जे-27/2011)लिंक नम्बर.9314/अलेसे-11/5490-93 दिनांक:-16 अप्रैल 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) राजसमन्द
- 2 श्री जवाहर लाल जैन, सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-11) कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) राजसमन्द
- 3 ☒ उप निदेशक, (ए.सी.पी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु
- 4 निजी/गार्ड फाइल

